[2025] 6 एस.सी.आर. 402: 2025 आईएनएससी 670

विजय कुमार जोशी

बनाम

आकाश त्रिपाठी व अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6652/2025)

13 मई 2025

[विक्रम नाथ एंड प्रसन्ना बी. वरले, न्यायमूर्तिगण]

विचारार्थ मुद्दा

सहकारी समितियों के उन कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में मुद्दा उठा, जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) में समाहित हो गए थे; यदि इसका उत्तर हां है तो सेवा की अवधि क्या गिनी जाएगी, अर्थात क्या समिति में की गई सेवा को भी पेंशन की गणना के लिए अर्हक अवधि निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा या केवल एमपीएसईबी में समाहित होने के बाद की गई सेवा को ही गिना जाएगा।

हेडनोट्स

आरआर.3(पी), मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 12(2), 13(1)-मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) में अवशोषित सोसाइटियों के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकार्यता - क्या पेंशन के लिए अर्हक अवधि की गणना उनके सोसायटी में शामिल होने की तारीख से या एमपीएसईबी में अवशोषण की तारीख से की जानी चाहिए:

अभिनिर्धारित: अपीलार्थी एमपीएसईबी से पेंशन पाने के हकदार हैं, तथापि, अवशोषण से पहले सोसायटी में की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी सेवा राज्य सरकार के अधीन नहीं थी और उसके नियमों द्वारा शासित नहीं थी - इस प्रकार, अपीलार्थी एमपीएसईबी में उनके अवशोषण की तारीख से पेंशन के लिए पात्र हैं, जिस बिंदु से वे राज्य के नियमों द्वारा शासित कर्मचारी बन गए - संशोधित आदेश - भारत का संविधान - अनुच्छेद 142. [पैरा 25, 26)

सेवा कानून - अवशोषण - पेंशन - पात्रता:

अभिनिर्धारित: विलय या अवशोषण के बाद, सेवा की मूल पहचान समाप्त हो जाती है और पूर्ण कार्यात्मक एकीकरण होना चाहिए - पूर्ण कार्यात्मक एकीकरण के साथ नई सेवा से जुड़े अधिकार और

लाभ भी जुड़े होते हैं - जब एम्प्लॉई दूसरे एम पी एस ई बी कर्मचारी की तरह ही कर्तव्य और ज़िम्मेदारीयाँ निभा रहे हैं, तो उन्हें पेंशन हित देने से मना करना गलत होगा-इसके अलावा, विद्युत कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ के मामले में, राहत पहले ही आंशिक रूप से प्रदान की जा चुकी थी। - इस प्रकार, एक ही संगठन में कर्मचारियों के दो वर्ग नहीं हो सकते। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में सभी समाहित कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। [पैरा 20, 22, 23]

केस कानून का हवाला दिया गया

पंचराज तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल और अन्य **[2014] 3 एससीआर 577: (2014) 5 एससीसी 101**; म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम उमा शंकर द्विवेदी, **2018 की सिविल अपील क्रमांक 9146-9148**; ब्रजेन्द्र सिंह कुशवाह एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य, 2013 की **एसएलपी (सिविल) क्रमांक 28516** का उल्लेख किया गया है।

अधिनियमों की सूची

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम; भारत का संविधान।

सांकेतिक शब्दों की सूची

अवशोषण ; विलयन; पेंशन; मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी); सहकारी समितियां; अवशोषण की शर्तें; देय पेंशन; संबंधित समिति के नियम; एमपीएसईबी के नियमित कर्मचारी; पेंशन की गणना के लिए अर्हक अवधि; समिति में की गई सेवा; एमपीएसईबी में अवशोषण के बाद की गई सेवा; समिति में शामिल होने की तिथि; एमपीएसईबी में अवशोषण की तिथि; एक ही संगठन में कर्मचारियों के दो वर्ग; अन्यायपूर्ण भेदभाव; पेंशन के लिए अर्हक अवधि।

से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 6652/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के दिनांक 30.04.2019 के निर्णय और आदेश से, 2018 के CONC क्रमांक 2376, सिविल अपील क्रमांक 6653-6674, 6675-6710, 6711-6741, 6742-6765, 6766-6775, 6776-6781, 6782-6783, 6784-6785, 6786, 6787-6788 और 6789, 2025 के साथ

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलार्थियों के अधिवक्ता:

एन.के. मोदी, एस.के. गंगेले, वरिष्ठ अधिवक्तागण . सुश्री इशिता एम. पुराणिक, सुरेश कुमार भान, सुश्री जिगिशा अग्रवाल, दिवाकर शुक्ला, प्रबुद्ध सिंह गौर, करण गुप्ता, नित्यानंद महतो, प्रवीण स्वरूप. प्रशांत भूषण, सुश्री एलिस राज, सुश्री प्रिया शर्मा, पृथ्वी राज चौहान, श्रीमती बरनाली बसाक, सुश्री मोनिका गोयल, सुश्री साकेत गौतम, सतीश कुमार, अरूप बनर्जी, देवेश कुमार अग्निहोत्री, अजीत कुमार सिंह, सुश्री प्रिया मिश्रा, देवव्रत, आदित्य कुमार दुबे.

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता :

वी.वी.वी. पट्टाभिराम, उप महाधिवक्ता , जी. उमापति, वरिष्ठ , रोहित के. सिंह, प्रीतम विश्वास, अमलपुष्प श्रोती, सुश्री मृणाल गोपाल एलकर, आदित्य वैभव सिंह - शासकीय अधिवक्ता , सुश्री छवि खंडेलवाल, सिद्धार्थ, हर्षित मनवानी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

<u>निर्णय</u>

विक्रम नाथ, न्या.मू.

1. सभी विशेष अनुमति याचिका में अनुमति प्रदान की गयी गई।

2. मौजूदा याचिकाएं, पैराग्राफ 3 में बताई गई दो अपीलों को छोड़कर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की पूर्ण पीठ , जबलपुर के रिट अपीलों के एक बैच में 22.08.2019 को दिए गए निर्णय एवं आदेश के सही होने पर सवाल उठाती हैं, जिसमें उसने भेजे गए दो प्रश्नों के उत्तर दिए थे और कहा था कि रिट अपील क्रमांक 334/2015 में युगल पीठ का निर्णय, जिसमें कहा गया था कि सोसाइटी के कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं, सही विधि नहीं बताता था और आगे कहा था कि कर्मचारी दावा किए गए पेंशनरी हित के हकदार नहीं थे, बल्कि अवशोषण की शर्तों के तहत आएंगे, जिसमें कहा गया था कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी। ये याचिकाएं पूर्ण पीठ के 22.08.2019 के निर्णय के मद्देनजर रिट अपीलों का निराकरण करते समय युगल पीठ द्वारा दिए गए नतीजों वाले आदेश पर भी सवाल उठाती हैं।

3. एस एल पी (सी) क्रमांक 23286/2019 और एस एल पी (सी) क्रमांक 3805/2021 से उत्पन्न हुई ये दो याचिकाएं, सक्षम कार्यवाही में पारित किए गए अलग-अलग आदेशों से उत्पन्न हुई हैं, जिनके तहत जिससे सक्षम कार्यवाही बंद कर दी गई। विजय कुमार जोशी बनाम आकाश त्रिपाठी एवं अन्य अवमानना कार्यवाही में से एक में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कर्मचारियों को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में अवशोषण की तारीख से उनकी सेवा की गणना करते हुए पेंशन दी गई थी,

जबकि अन्य अवमानना कार्यवाही में, ऊपर संदर्भित पूर्ण पीठ के 22.08.2019 के निर्णय के मद्देनजर कार्यवाही को बंद कर दिया गया था।

4. इन अपीलों में निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा, एमपीएसईबी में समाहित सोसाइटियों के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में है और यदि इसका उत्तर हां है, तो सेवा की अवधि क्या गिनी जाएगी, अर्थात क्या पेंशन की गणना के लिए अर्हक अवधि निर्धारित करने हेतु सोसायटी में की गई सेवा को भी गिना जाएगा या केवल एमपीएसईबी में समाहित होने के बाद की गई सेवा को ही गिना जाएगा।

5. मध्य प्रदेश राज्य में बड़ी क्रमांक में सहकारी समितियाँ पंजीकृत थीं जो विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत वितरण के कार्य में संलग्न थीं। किसी समय समितियों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई और वे अपने कार्यों का प्रबंधन और नियंत्रण करने में असमर्थ हो गईं, अतः 1995 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि उन्हें सभी प्रकार से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में विलय कर दिया जाए। विशेष रूप से, समितियों के नियमित और दैनिक वेतनभोगी दोनों प्रकार के कर्मचारियों के संबंध में।

6. 1995 का नीतिगत निर्णय अंततः वर्ष 2002 में फलीभूत हुआ जब सोसाइटियाँ भंग कर दी गईं और विलय 15.03.2002 से प्रभावी हुआ, जिसे बाद में एमपीएसईबी के दिनांक 18.05.2004 और 14.12.2004 के आदेशों द्वारा अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, अवशोषण हेतु नियम और शर्तें एमपीएसईबी द्वारा दिनांक 05.06.2004 के अपने आदेश में तैयार और घोषित की गईं, जो नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:

> "1. उपरोक्त सोसाइटियों के नियमित कर्मचारियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर लिया जाएगा जो सोसायटी में विद्यमान हैं, सिवाय इसके कि कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा।
>
> 2. उनका वेतनमान वही होगा जो उन्हें अवशोषण से पहले मिल रहा था।
>
> 3. ऊपर बताए गए कर्मचारियों का अपने सर्कल के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
>
> 4. उनकी रिटायरमेंट की उम्र वही होगी जो सोसाइटियों पर लागू होती है।
>
> 5. मंडल में शामिल कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन/ग्रेच्युटी, संबंधित सोसाइटी के नियमों/रेगुलेशन के हिसाब से होगी।
>
> 6. उनका डेज़िग्नेशन वही रहेगा जो सोसाइटी में था।

7. मर्जर के तुरंत बाद, विद्युत कर्मचारी संघ नाम की एक कर्मचारी यूनियन ने रि.या.(से) क्रमांक 1151/2005 के तौर पर एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसका टाइटल विद्युत कर्मचारी संघ बनाम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मंडल एवं अन्य था। याचिका में विलयन और उससे जुड़े रेगुलेटरी कमीशन के 20.02.2003 और 15.12.2004 के ऑर्डर को अपास्त करने की मांग की गई थी।। इसके अलावा, यह राहत मांगी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मंडल के कर्मचारियों जैसे ही फायदे दिए जाएं।

8. बी के एस की याचिका के लंबित रहने के दौरान, पंचराज तिवारी नाम के एक और व्यक्ति ने एक और याचिका दायर की, जिसे रिट याचिका क्रमांक 1962/2010 के तौर पर दर्ज किया गया। उस रिट याचिका का फैसला सिविल अपील क्रमांक 4371/2008 के ज़रिए इस कोर्ट में लाया गया, जिसका फैसला 04.03.2014 के निर्णय से हुआ, जिसमें अवशोषण की शर्तों के क्लॉज़ 3 और 6 को गलत पाया गया।

9. इसके बाद, 07.03.2015 के निर्णय से, भारतीय किसान संघ की रिट याचिका पर फैसला हुआ और यह निर्देश दिया गया कि एक बार जब समिति के कर्मचारी सभी मकसदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् मंडल की सेवाओं में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् मंडल के नियमित कर्मचारियों को दी जाने वाली नियमित पेंशन के फायदों के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए निर्णय का पैराग्राफ 14 में दिया गया प्रवर्ती हिस्सा नीचे दिया गया है:

> "14. नतीजतन, रिट याचिका मंज़ूर की जाती है। प्रत्यार्थीयों को निर्देश दिया जाता है कि वे उन कर्मचारियों को पेंशनरी हित और दूसरे अतिरिक्त लाभ दें जो अब मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कर्मचारी हैं। पेंशन संबंधी लाभों और अन्य अनुषंगी लाभों के संबंध में आवश्यक आदेश इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर पारित किए जाएँ। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

10. एकल पीठ के दिनांक 07.05.2015 के इस निर्णय को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत रिट अपील क्रमांक 334/2015, दिनांक 14.06.2016 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इससे व्यथित होकर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने एक विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की, जो 30.11.2018 को खारिज कर दी गई और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा इसके विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका 23.04.2019 को खारिज कर दी गई।

11. इस बीच, एमपीएसईबी के साथ उनके विलय पर पदोन्नति, 6 वें वेतन आयोग की प्रयोज्यता और उनके वेतन निर्धारण आदि में संशोधन से संबंधित राहत का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा कई कार्यवाहियां शुरू की गईं। एकल न्यायाधीश ने 03.04.2019 के निर्णय के तहत याचिकाओं के समूह को निराकृत किया और कुछ निर्देश जारी किए, जिसमें निर्देश क्रमांक (iv) पेंशन योजना और अन्य अतिरिक्त लाभों के हकदार होने से संबंधित था, जो रिट अपील 334/2015 के निर्णय पर निर्भर करते हुए एमपीएसईबी के कर्मचारियों के लिए लागू थे। उक्त निर्देश यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> (iv) याचिकाकर्ता पेंशन योजना और अन्य अनुषंगी लाभों का लाभ पाने के हकदार होंगे, जो डब्लू.ए. क्रमांक 334/2015 (म.प्र. राज्य विद्युत मंडल (अब म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड इंदौर के नाम से जाना जाता है) बनाम विद्युत कर्मचारी संघ) में इंदौर बेंच के निर्णय के अनुसार म.प्र.राज्य विद्युत मंडल के कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

12. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, एमपीएसईबी ने कई रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें पहली रिट अपील क्रमांक 897/2019 थी। डिवीजन बेंच ने दिनांक 27.06.2019 के आदेश के तहत रिट अपील क्रमांक 334/2015 के निर्णय से असहमति जताई और तदनुसार, मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि निम्नलिखित दो प्रश्नों पर न्याय निर्णयन के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया जा सके:

> "(i) क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (जिसे अब मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) इंदौर बनाम विद्युत कर्मचारी संघ, डब्लू.ए. क्रमांक 334/2015 के मामले में निर्णय जिसमें यह माना गया है कि पंचराज तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (2014) 5 एससीसी 101 के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर सोसायटी के कर्मचारी पेंशन के हकदार क्यों हैं, इसके लिए कौन सा कानून सही है?
>
> क्या पंचराज तिवारी बनाम मप्र राज्य विद्युत मंडल, (2014) 5 एससीसी 101, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम उमा शंकर द्विवेदी, 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 1461: सिविल अपील क्रमांक 9146-9148/2018 और ब्रजेन्द्र सिंह कुशवाह एवं अन्य बनाम मप्र राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य, एसएलपी (सी) संख्या क्रमांक 28516/2013 के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर, प्रतिवादी उनके द्वारा दावा किए गए पेंशन के लाभ के हकदार हैं या क्या वे अवशोषण की शर्तों द्वारा

शासित हैं जो संबंधित सोसायटी के नियमों और विनियमों के अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान करती हैं?

13. पूर्ण पीठ के आक्षेपित निर्णय द्वारा, जैसा कि प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, यह माना गया है कि रिट अपील संख्या 334/2015 में खंडपीठ के निर्णय में सही कानून नहीं बनाया गया था और इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में समाहित सोसाइटियों के कर्मचारी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के नियमित कर्मचारियों के समान पेंशन के हकदार नहीं होंगे, बल्कि वे सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे। पूर्ण पीठ को संदर्भित दो प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं।

14. कर्मचारियों द्वारा व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

15. वी.के.जोशी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील में, अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय 30.04.2019 का है, अर्थात पूर्ण पीठ के निर्णय, जो दिनांक 22.08.2019 का है, से पूर्व का। उक्त अवमानना कार्यवाही में, मध्य प्रदेश राज्य की ओर से दिए गए निर्देशों और कथन के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना है कि संविलियन किए गए कर्मचारियों को उनके संविलियन की तिथि से पेंशन का लाभ दिया गया है। यह भी माना गया कि पेंशन के निर्धारण हेतु अर्हक सेवा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ वे समाज में प्रदान की गई अपनी सेवा की गणना के हकदार नहीं होंगे। बी के एस द्वारा अवमानना से संबंधित अन्य अपील में, अवमानना न्यायालय ने पूर्ण पीठ के निर्णय, दिनांक 22.08.2019 के आधार पर अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया है।

16. हमने पार्टियों की तरफ से पेश वकील को सुना है और रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल को देखा है।

17. जैसा कि ऊपर बताए गए फैक्ट्स से पता चलता है, केस के लंबे समय तक पेंडिंग रहने और कई प्रोसिडिंग्स के कारण सिचुएशन मुश्किल हो गई है। हालांकि, हम उठाए गए इश्यूज़ पर एक-एक करके विचार करेंगे और आखिर में भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत इस कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करके इन अपील्स पर फैसला करेंगे, नहीं तो, इसी तरह की स्थिति वाले एम्प्लॉइज के साथ भेदभाव होगा।

18. सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, यह केस, जो बी के एस द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन नंबर 1151/2005 से शुरू हुआ था, फुल बेंच के निर्णय से बहुत पहले इस कोर्ट के सामने फाइनल हो गया था। फुल बेंच के निर्णय के आधार पर उन्हें दी गई राहतों को फिर से खोलना और उन पर फिर से विचार करना न केवल गलत होगा बल्कि गलत भी होगा। रिट पिटीशन नंबर 1151/2005 में पार्टियों के बीच पैदा हुआ विवाद सुलझ गया है और पार्टियों पर लागू होता है। इसलिए, बी के एस पिटीशन में

शामिल एम्प्लॉइज को दी गई राहत उन्हें भी दी जानी चाहिए। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में पास किया गया ऑर्डर और इस कोर्ट के सामने पेश की गई दलीलें साफ दिखाती हैं कि बी के एस मेंबर्स को पेंशन दी गई है। हालांकि, सर्विस पीरियड की गिनती उनके जॉइनिंग की तारीख से लेकर उनके रिटायरमेंट की तारीख तक की जाती है। बी के एस का दावा है कि सोसाइटी में दिए गए सर्विस पीरियड को भी गिना जाना चाहिए और उनकी पेंशन तय करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस का हिस्सा माना जाना चाहिए।

19. दूसरी ओर, अगर फुल बेंच का तरीका सही है, तो जिन कर्मचारियों ने पिटीशन फाइल की थीं, जिनके कारण फुल बेंच का फैसला आया, वे किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इस तरह, एक तरफ, बी के एस मेंबर्स को पेंशन दी गई है, हालांकि बताया गया सर्विस पीरियड बी के एस के लिए संतोषजनक नहीं है। दूसरी ओर, रिट पिटीशनर, जो फुल बेंच के निर्णय में शामिल मामलों में पार्टी हैं, किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अब हम MPSEB में शामिल सोसाइटियों के सभी कर्मचारियों को समान राहत कैसे दी जाए, यह तय करके इस मुश्किल स्थिति को हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

20. एक बार अवशोषित कर्मचारियों को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के अन्य कर्मचारियों के समान माना जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने पंचराज तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में निर्णय दिया है। यह निर्णय मानता है कि विलय के बाद

या अवशोषण के बाद, सेवा की मूल पहचान समाप्त हो जाती है और पूर्ण कार्यात्मक एकीकरण आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ 6 नीचे पुन: प्रस्तुत है:

> 6. सेवाओं के एकीकरण/विलय का अर्थ है विभिन्न सेवाओं से संबंधित सेवा कार्मिकों के विलय द्वारा एक समरूप सेवा का निर्माण करना:
> 6.1. यद्यपि ऐसे विलयन पर सेवाओं का पूर्ण एकीकरण करना कठिन है, फिर भी कर्मचारियों को समाहित करते समय, जहां तक संभव हो, समतुल्यता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
> 6.2. यद्यपि सेवाओं का एकीकरण पदों के समतुल्यता की परिकल्पना करता है, फिर भी समान श्रेणी में पदधारी द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करना अनिवार्य नहीं है। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में न्यायसंगत और समतामूलक सिद्धांत अपनाना संबंधित प्राधिकारी के लिए सदैव खुला है।
> 6.3. एक बार किसी सेवा का किसी अन्य सेवा में विलय हो जाने पर, विलयित सेवा एकीकृत सेवा में ही जन्म ले लेती है और अपनी मूल पहचान खो देती है। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, जहाँ विलय, अवशोषण

> या एकीकरण के बाद भी, विलय या अवशोषण की गई सेवाएँ अपनी मूल स्थिति बनाए रखें। यदि ऐसा है, तो यह अवशोषण, विलय या एकीकरण नहीं है, बल्कि केवल एक कार्यशील व्यवस्था होगी जिसमें कोई कार्यात्मक एकीकरण नहीं होगा।

21. प्रतिवादियों द्वारा जिन समामेलन की शर्तों पर भरोसा किया गया था, उन्हें इस न्यायालय ने म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम उमा शंकर द्विवेदी और ब्रजेंद्र सिंह कुशवाह एवं अन्य बनाम म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य में और शिथिल कर दिया है। उमा शंकर द्विवेदी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह कथन दिया गया था कि उन्हें समामेलन की तिथि से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 02.08.2018 का आदेश नीचे पुन: प्रस्तुत है:

> मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी को लाभ प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एमपीएसईबी) के कर्मचारियों को आमेलन की तिथि पर प्रदान किया गया था।

इस हद तक दोनों पक्षों में सहमति है।"

इसके बाद, दिनांक 05.09.2018 के अंतिम आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने समाहित कर्मचारियों के लिए 5 वें, 6 वें और 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, ब्रजेंद्र सिंह कुशवाह (सुप्रा) मामले में दिया गया आदेश पंचराज तिवारी (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित था। दिनांक 27.04.2015 का आदेश नीचे पुन: प्रस्तुत है:

> "प्रत्यर्थी -बोर्ड ने प्रति-शपथपत्र के पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित कहा है:
>
> "यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने सिविल अपील क्रमांक 4371/2008 में इस माननीय न्यायालय के दिनांक 4 मार्च, 2014 के निर्णय, दिनांक 24.12.2014 के आदेश और दिनांक 18.04.2014 के स्पष्टीकरण आदेश के अनुपालन में, 3 मार्च, 2014 तक के लाभों की काल्पनिक गणना करने के पश्चात, 4 मार्च, 2014 से वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य अनुषंगी लाभों के मामले में याचिकाकर्ताओं को उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।"

प्रतिवादी-बोर्ड छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त समस्त लाभ प्रदान करेगा।

विशेष अनुमति याचिका का तदनुसार निराकरण किया जाता है।"

22. इन निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित होता है कि पूर्ण कार्यात्मक एकीकरण के साथ नई सेवा से जुड़े अधिकार और लाभ भी जुड़े होते हैं। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त निर्णयों द्वारा दिए गए लाभ और छूट पहले ही लागू किए जा चुके हैं और राज्य ने अवशोषण की तिथि से लाभ बढ़ाने की कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है।

23. जब एम्प्लॉई दूसरे एम पी एस ई बी कर्मचारियों की तरह ही कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो उन्हें पेंशन लाभ देने से मना करना पूरी तरह से गलत होगा।इसके अलावा, बीकेएस मामले में दिए गए निर्णय में, आंशिक रूप से राहत पहले ही दी जा चुकी है। इस प्रकार, एक ही संगठन में कर्मचारियों के दो वर्ग नहीं हो सकते। एक पेंशन प्राप्त और दूसरा पेंशन रहित। ऐसी परिस्थितियों में, केवल समितियों में उनके मूल होने के आधार पर उन्हें पेंशन का लाभ देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण भेदभाव होगा। इसलिए हमारा मानना है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में सभी समाहित कर्मचारी पेंशन के हकदार होंगे।

24. शेष प्रश्न यह है कि पेंशन के लिए अर्हक अवधि की गणना सोसाइटी में उनके शामिल होने की तिथि से की जानी चाहिए या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में आमेलन की तिथि से। पेंशन की पात्रता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियमों द्वारा शासित होती है, और संबंधित प्रावधान नियम 3(पी) है, जो इस प्रकार है:

"3(पी) 'अर्हकारी सेवा' से राज्य सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा में शामिल होने की तारीख और उससे सेवानिवृत्ति के बीच की अवधि अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा और इसमें वह अवधि भी शामिल है जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेश या नियम के अधीन अर्हकारी है।"

इसके अतिरिक्त, नियम 12(2) में प्रावधान है कि अर्हक सेवा उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस दिन कर्मचारी उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर उसे राज्य सरकार की सेवाओं में, चाहे वह मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया हो। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम के नियम 12(2) को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

12. अर्हकारी सेवा का प्रारंभ।

> (2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी सेवक की अर्हक सेवा उस तिथि से प्रारंभ होगी, जिस दिन वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर उसे प्रथम बार मौलिक रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में नियुक्त किया जाता है।"

नियम 13(1) में प्रावधान है कि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक अर्ह नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसके कर्तव्य और वेतन सरकार द्वारा विनियमित न हों।

नियम 13(1) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> 13. वे शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हता प्राप्त होती है।
>
> (1) किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक अर्ह नहीं होगी जब तक कि उसके कर्तव्य और वेतन सरकार द्वारा विनियमित न हों, या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन न हों।"

25. उपरोक्त के मद्देनजर, यद्यपि अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से पेंशन के हकदार माने जाते हैं, फिर भी अवशोषण से पहले सोसाइटी में की गई सेवा की अवधि की गणना नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी सेवा राज्य सरकार के अधीन नहीं थी और उसके नियमों द्वारा शासित नहीं थी। इस प्रकार, अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में अपने अवशोषण की तिथि से पेंशन के पात्र होंगे, जिसके बाद से वे राज्य के नियमों द्वारा शासित कर्मचारी बन गए।

26. तदनुसार, अपीलें इस सीमा तक स्वीकार की जाती हैं कि अपीलार्थियों को उनके अवशोषण की संबंधित तिथियों से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाएगा। विवादित आदेश उपरोक्तानुसार संशोधित माने जाएँगे। प्रत्यर्थियों को आज से चार माह की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा और उसी अवधि के भीतर पेंशन के सभी बकाया का भुगतान करना होगा।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत की जावे ।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

अनुवाद द्वारा
विनय राज डाबी
(कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक)
म.प्र.उच्च न्यायालय, इंदौर